संख्या- 175 /2026/ 1821 /चार-2026-1965039

प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2026**

विषय:- दिनांक 11 सितम्बर, 2025 को मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री जी के वाराणसी आगमन पर उनके स्वागत/ सम्मान में कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर हुए अतिरिक्त व्यय की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 724/सं0नि0-15(32)/2025-26, दिनांक 18 जून, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या- 42 /2026 / 169 /चार-2026- 1965039 दिनांक 03 फरवरी, 2026 द्वारा के माननीय प्रधानमंत्री जी के वाराणसी आगमन पर उनके स्वागत/ सम्मान में कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर हुए अतिरिक्त व्यय हेतु प्रदान की गयी रू0 4,14,131.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति में तालिका के क्रमांक- 06 पर अंकित धनराशि रू0 4000.00 के स्थान पर त्रुटिवश रू0 400.00 अंकित होने के कारण भुगतान किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में निर्गत **शासनादेश संख्या- 42 /2026 / 169 /चार-2026- 1965039 दिनांक 03 फरवरी, 2026 को निरस्त** किया जाता है तथा प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 11 सितम्बर, 2025 को मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री जी के वाराणसी आगमन पर उनके स्वागत/ सम्मान में कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर हुए अतिरिक्त व्यय **रू0 4,14,131.00 (रूपये चार लाख चौदह हजार एक सौ इकतीस मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि निम्नानुसार अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	मद	धनराशि
1	मै0 होटल द्वारिका वाराणसी (कलाकारों के आवास एवं भोजन पर व्यय)	1,43,407.00
2	मै0 तनिष डाइनिंग एण्ड कैफे, वाराणसी (जलपान)	33,923.00
3	मै0 गणपति प्रिंट वाराणसी। प्रचार प्रसार, बैनर, फ्लैक्स, फेंसिया आदि पर व्यय	1,84,387.00
4	मै0 सूर्या इंटरप्राइजेज वाराणसी (फोटोग्राफी)	11,800.00
5	मै0 विकास ड्राइंग इंपोरियम वाराणसी (ब्रोसर प्रिंट, कार्ड, होल्डर, रिविन आदि)	36,614.00
6	मै0 एम0 के0 मूवी फिल्म विडियो वाराणसी (पासपोर्ट फोटो, प्रिंट एवं रिपोर्ट प्रिंट)	4000.00
	योग (रूपये चार लाख चौदह हजार एक सौ इकतीस मात्र)	4,14,131.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. शर्तें / प्रतिबंध:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9)उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10)धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन -19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन -42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।